भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1925

02 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

नि:शुल्क गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल

1925. **श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:**

श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:

श्री अरविंद गणपत सावंत:

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक माह की नौवीं तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को उनकी दूसरी और तीसरी तिमाही में निश्चित दिन, निःशुल्क, सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो देश में पीएमएसएमए के अंतर्गत पिछले तीन वर्षो के दौरान राज्य-वार/वर्ष-वार विशेषकर महाराष्ट्र में प्रसवपूर्व देखभाल प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या क्या है;

(ग) क्या मां और नवजात दोनों के लिए अधिकतर जीवन बचाने के लिए उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था को ट्रैक करने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो अधिकतर जीवन बचाने के लिए व्यक्तिगत उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था को ट्रैक करने और अतिरिक्त पीएमएसएमए सत्र प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) क्या सरकार ने महिलाओं के अधिक संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने और प्रसव के दौरान/बाद में मृत्यु दर को कम करने के लिए उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की श्रेणियों की अपनी सूची का विस्तार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): भारत सरकार ने गर्भावस्था के दूसरी/तीसरी तिमाही में सभी गर्भवती महिलाओं को सार्वभौमिक रूप से प्रत्येक माह की नौंवी तारीख को प्रसूति रोग विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारियों द्वारा विशिष्ट जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर निश्चित दिन , नि:शुल्क, सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व परिचर्या प्रदान करने के उद्देश्य से **"प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान" (पीएमएसएमए)** की शुरूआत की है।

देश में पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के अंतर्गत महाराष्ट्र सहित राज्य-वार/वर्ष-वार प्रसवपूर्व परिचर्या प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

(ग) और (घ): उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था (एचआरपी) को ट्रैक करना संभावित जटिलताओं की शुरुआती पहचान, समय पर हस्तक्षेप और विशेष देखभाल को सक्षमकारी बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। यह सक्रिय दृष्टिकोण प्रतिकूल घटनाओं से बचाव करते हुए माताओं और नवजात बच्चों के स्वास्थ्य परिणामों में काफी सुधार करता है, जिससे मां और नवजात शिशु दोनों का जीवन सुरक्षित रहता है।

पीएमएसएमए के माध्यम से सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने के प्रयासों को जारी रखते हुए और इसमें और सुधार लाने के दृष्टिकोण के साथ गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण एएनसी सुनिश्चित करने, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की व्यक्तिगत ट्रैकिंग और हर महीने की 9 तारीख से अधिक अतिरिक्त पीएमएसएमए सत्रों का प्रावधान करने के लिए विस्तारित पीएमएसएमए कार्यनीति शुरू की गई थी।

(ङ): भारत सरकार ने उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की सूची को 10 श्रेणियों से 25 उच्च जोखिम गर्भावस्था श्रेणियों तक विस्तारित किया है, ताकि रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए जटिलताओं की शुरूआत में ही पहचान हो सके और समय पर प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके तथा निकटतम फर्स्ट रेफरल यूनिट (एफआरयू) के साथ सहबद्ध करके संस्थागत प्रसव सुनिश्चित किया जा सके। 25 उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की (एचआरपी) श्रेणियों की सूची अनुलग्नक-2 में संलग्न है।

*****

दिनांक 02.08.2024 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 1925 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक 1

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमएसएमए के तहत प्रसवपूर्व परिचर्या प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या			
		(1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक)	(1 अप्रैल, 2022 31 मार्च, 2023 तक)	(1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक)	(1 अप्रैल, 2024 से 26 जुलाई, 2024 तक)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3190	3257	3631	323
2	आंध्र प्रदेश	461251	905747	838264	294466
3	अरुणाचल प्रदेश	4940	3462	3655	1190
4	असम	33620	59961	58987	17842
5	बिहार	537892	809779	852059	271356
6	चंडीगढ़	6560	7953	8419	4771
7	छत्तीसगढ़	83269	268203	312420	91847
8	दादरा और नगर हवेली	4755	6531	4214	758
9	दमन और दीव	3936	20984	18016	529
10	दिल्ली	44875	52098	61514	28829
11	गोवा	2975	6170	18872	3950
12	गुजरात	229520	257701	276169	75402
13	हरियाणा	238160	337817	382963	124528
14	हिमाचल प्रदेश	45152	56224	57204	21870
15	जम्मू और कश्मीर	29154	58588	66535	21418
16	झारखंड	98188	149758	178620	67800
17	कर्नाटक	42093	224946	537531	186603
18	केरल	2907	3364	3572	714
19	लक्षद्वीप	893	827	898	639
20	मध्य प्रदेश	530716	200625	351696	202259
21	महाराष्ट्र	74024	292039	278956	76480
22	मणिपुर	4104	9848	8820	3100
23	मेघालय	3620	58902	63035	21096
24	मिजोरम	6768	7161	7993	1919
25	नागालैंड	2285	2859	1985	609
26	ओडिशा	141197	270561	375076	115385
27	पुडुचेरी	0	99	2244	3130
28	पंजाब	69523	115905	177441	77542
29	राजस्थान	153439	522258	526829	241414
30	सिक्किम	950	1290	883	44
31	तमिलनाडु	346309	329832	329365	74308
32	तेलंगाना	247737	296112	259288	57750
33	त्रिपुरा	19519	22143	27777	9406
34	उत्तर प्रदेश	1135849	1680849	2833000	997140
35	उत्तराखंड	23702	28339	24258	5704
36	पश्चिम बंगाल	115186	285119	364089	137434
	कुल	**4748258**	**7357311**	**9316278**	**3239555**

दिनांक 02.08.2024 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 1925 के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक 2

क्र.सं.	**उच्च जोखिम गर्भावस्था (एचआरपी) श्रेणियां**
1	एचआईवी
2	सिफिलिस
3	गंभीर एनीमिया
4	गर्भावस्था जनित उच्च रक्तचाप
5	गर्भावधि मधुमेह मेलिटस
6	हाइपोथायरायडिज्म
7	क्षय
8	मलेरिया
9	पूर्व एलएससीएस
10	सिफेलो-पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन
11	असफल प्रसूति इतिहास
12	जुड़वाँ/एकाधिक प्रसव
13	हेपेटाइटिस बी
14	असामान्य भ्रूण हृदय गति
15	किशोर गर्भावस्था
16	तेज़ बुखार
17	आरटीआई/एसटीआई
18	एच/ओ स्टिल बर्थ
19	जन्मजात विकृति
20	नकारात्मक रक्त समूह
21	अर्ली प्रिमी
22	बुजुर्ग प्रिमी
23	ग्रैंड मल्टीपारा
24	छोटा कद
25	अन्य विशिष्ट स्थिति

*****